रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15,1938
No. 92] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 15 फरवरी, 2017

सं. टीएएमपी/31/2016-पीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतदद्वारा लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) पर प्रहस्तित तापीय कोयला के लिए श्रम उपकर की शुरूआत करने लिए पारादीप पत्तन से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

संख्या. टीएएमपी/31/2016-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्याय - - - **आवेदक**

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फरवरी, 2017 के 8वें दिन पारित)

यह मामला लौह अयस्क प्रहसत संयंत्र (आईओएचपी) पर तापीय कोलये के प्रहस्तन के लिए श्रम उपकर लागू करने से संबंधित पारादीप पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. मार्च, 2011 में अनुमोदित पीपीटी के वर्तमान दरमानों के खंड 2.1 के क्रम संख्या 4 पर मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र (एमसीएचपी) द्वारा कोयले के प्रहस्तन के लिए पीपीटी के वर्तमान दरमानों में निर्धारित दरें इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	सामान का विवरण	दर प्रति एमटी अथवा इसके एक भाग के लिए रु. में	
		विदेशी	तटीय
4.	एमसीएचपी के माध्यम से कोयला		
(क)	कोयला प्रहस्तन संयंत्र द्वारा कोयला वैगन से उतराई कोयला प्रहस्तन संयंत्र द्वारा कोयले का लदान	51.710	51.70

(ख)	(i) 7.5 मिलियन टन तक	77.50	77.50
	(ii) 7.5 मिलियन टन से 10 मिलियन टन तक	71.05	71.05
	(ii) 10 मिलियन टन से अधिक	64.60	64.60

2.2. लेकिन, पीपीटी के वर्तमान दरमानों में आईओएचपी के द्वारा कोयला प्रहस्तन की दरें निर्धारित नहीं करते। अत: पीपीटी विषयक प्रस्ताव के साथ आया है।

3. पीपीटी द्वारा अपने 24 मई, 2016 के प्रस्ताव में उठाये गए मुख्य मुद्दे हैं:

(i). एमसीएचपी के माध्यम से तापीय कोयलेके प्रहस्तन के लिए केवल बीओबीआर वैगन (बाट्म अनलोडिंग वैगन) का प्रयोग होता है। यदि यह वैगन उपलब्ध नहीं होता, तो तापीय कोलये के लिए बीओएक्सएन वैगन का प्रयोग होता है। बीओएक्सएन ओपन टाप वैगन (ऊपर से खुला वैगन) वैगनों के लिए प्रबंधन समिति के माध्यम से निकासी अग्रेषण और प्रहस्तन (सीएफवएच) कामगारों को लगाकर हस्त्य उतरायी करनी पड़ती है। तत्पश्चात् कार्गो को एमसीएपी के स्टॉकयार्ड तक ढुलाई की जाती है और उसके बाद सीएफएंडएच कामगारों व अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा एमसीएचपी के शिप लोडरों द्वारा जहाज में लदान किया जाता है।

(ii). यद्यपि ऐसे कार्गो को वैगन टिप्पलर और शिप लोडर के माध्यम से आईओएचपी में सीधे प्रहस्तन किया जा सकता है परंतु सीएफएंडएच द्वारा वैगनों से हस्त्य उतरायी करने के लिए कामगारों को अनुज्ञा न देने के भारी विरोध के कारण उनका प्रयोग नहीं किया जाता।

(iii). ऐसी स्थिति से पार पाने के लिए और वैगन टिप्पलर और शिप लोडर दोनों के प्रयोग द्वारा आईओएचपी को तापीय कोयले के लदान की अनुमति देने के लिए प्रबंधन समिति ने पीपीटी को निकासी, अग्रेषण और प्रहस्तन (सीएफएंडएच) कामगारों के लिए विशेष पृथक्करण पैकेज (एसएसपी) अनुज्ञा के लिए वित्तीय अपेक्षा को वहन करने का एक बारगी अनुदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

(iv). तदनुसार, पीपीटी ने मामले को एसएसपी का विकल्प चयन वाले 320 कामगारों के लिए 49 करोड़ रु. और आगामी 12 महीनों में एसएसपी का विकल्प देने को तैयार 792 कामगारों के लिए 127 करोड़ रु. के एक बारगी अनुदान के अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा। मंत्रालय ने अपने 22 मार्च, 2016 के पत्र संख्या एलबी-16017/5/2013-डीओ (एल) के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया और निदेश दिया कि पीपीटी स्कीम के कार्यान्वयन से उपार्जित होने वाले वित्तीय लाभों का अलग से लेखा रखेगा।

(v). पीपीटी ने 320 कामगारों में से 283 कामगारों के लिए एसएसपी के संबंध में देयतावहन करने हेतु प्रबंधन समिति को 43 करोड़ रु. दिये क्योंकि शेष 37 कामगार प्रस्ताव को आरंभ करने से उसके कार्यान्वयन की अवधि में सेवानिवृत्त हो गए थे।

(vi). सीएफएंडएच कामगारों ने नियोक्ता, यूनियन प्रतिनिधियों और पीपीटी के बीच हुए समझौता करार में वैगन टिप्पलर के माध्मय से यांत्रिक उतरायी की अनुमति दे दी।

(vii). हस्त्य प्रहस्तन (उतरायी, ढुलाई व लदान) पर बीओएक्सएन वैगन प्रहस्तन की वर्तमान लागत 427 रु. प्रति एमटी पड़ती है जबकि आईओएचपी (उतरायी वैगन टिप्पलर से और लदान शिप लोडर्स से) के प्रयोग से 127 रुपये प्रति एमटी आती है।

(viii). एमसीएचपी में कोयले के हस्त्य प्रहस्तन का लागत लाभ विश्लेषण निम्नवत् है:

(क). **<u>परिकलन का आधार</u>**

4 वैगनों के लिए प्रत्येक दल में 8 श्रमिक और 1 पर्यवेक्षक।

प्रत्येक श्रमिक औसत मजदूरी 1420 रुपए प्रति बुकिंग।
प्रत्येक पर्यवेक्षक औसत मजदूरी 1660 रुपए प्रति बुकिंग।
औसत प्रोत्साहन @रु. 430 प्रति व्यक्ति।
एनडब्ल्यूए @60 रु. प्रति व्यक्ति।
उगाही मजदूरी का @150%

(ख). **प्रति वैगन प्रहस्तन दर (हाथों से):**

प्रबंधन समिति	**राशि रु. में**
श्रमिक प्रभार [14.5 दलX8X1420]	164,720
पर्यवेक्षक प्रभार [14.5 दलX1660]	24,070
प्रोत्साहन @ 430 रु. प्रति व्यक्ति [14.5 दलX9X430]	56,115
एनडब्ल्यूए @60 रु. प्रति व्यक्ति पी 14.5 दलX9X 60]	7,830
उगाही मजदूरी का @150 % [1, 64,720+24,070X150%]	283,185
योग	**535,920**
लागत प्रति टन (क)	145

पत्तन प्रभार	**राशि रु. में**
साइडिंग प्रभार [3700X4]	14,800
ढुलाई प्रभार [58X1950]	113,100
टर्मिनल प्रभार [3700X22.97]	84,989
एमसीएचपी नौभार प्रभार [77.5 X3700]	286,750
योग	**499,639**
लागत प्रति टन (ख)	135

अन्य	**प्रति टन**
पोकलेन प्रति टन	21
लदान और एमसीएचपी को स्थानांतरण	55
एमसीएचपी में स्टेकिंग	10
गियर प्रभार	5
श्रमिकों द्वारा ट्रैक सफाई	6
सीएफएंडएच प्रचालक को मार्जिन	45
विविध व्यय	5
लागत प्रति टन (ग)	147

कुल लागत प्रति टन (क)+(ख)+(ग) = **रु.** 427

(ग). **आईओएचपी के लिए प्रति वैगन प्रहस्तन दर (यांत्रिकी)**

पत्तन प्रभार	**राशि रु. में**
साइडिंग प्रभार [3700X4]	14,800
ढुलाई प्रभार [58X1950]	113,100

टर्मिनल प्रभार [3700X22.97]	84,989
टिप्पलिंग प्रभार [3700X20.4]	75,480
आईओएचपी प्रभार [3700 X 49] (दुलाई प्रभार)	1,81,300
योग	**4,69,669**
लागत प्रति टन	127

(ix). दो निर्यातकों नामत: एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड और "टीएएनजीईडीसीओ" ने आईओएचपी का प्रयोग करने पर सहमत है और श्रम उपकर देने को भी तैयार है जो 130 रुपए प्रति एमटी प्रस्तावित है।

4. उक्त मुद्दों को देखते हुए पीपीटी को 130 रु. प्रति एमटी के श्रम उपस्कर की वसूली करने का अनुरोध किया गया था जिससे पीपीटी उस राशि की वसूली करने में सक्षम होगा जिसका पीपीटी पहले ही भुगतान कर चुका है और जो उसे शेष 283 कामगारों के लिए प्रबंधन समिति को एसएसपी के संदर्भ में उनकी देयता के रूप में वहन करनी है।

5.1. तत्पश्चात्, पीपीपी ने अपने 8 जून, 2016 के पत्र के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किया:

(i). दो संबंधित प्रचालकों एनटीईसीएल और टीएएनजीईडीसीओ ने प्रस्तावित उगाही के लिए सहमत होते समय, पीपीटी को अनुरोध किया कि वह श्रम उपस्कर को और कम करें। अनुरोध के प्रत्युत्तर में पीपीटी ने 130 रुपए प्रति एमटी की दर को कम करके 120 रुपए प्रति एमटी कर दिया है।

(ii). चूंकि लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) पर तापीय कोयले का प्रहस्तन पहले ही आरंभ हो चुका है, अंतिम अनुमोदन में समय लगने की संभावना हो तो, 120 रुपए प्रति टन की दर को तदर्थ आधार पर अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है।

(iii). दर के अंतिम अनुमोदन की प्राप्ति पर, इस शीर्ष के अंतर्गत, मध्यवर्ती अवधि के दौरान, प्राप्त राशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

5.2. पीपीटी द्वारा श्रम उपकर 130 रुपये प्रति एमटी के स्थान पर 120 रुपये प्रति एमटी करने की सूचना देने वाले टीएएनजीईडीसीओ को संबोधित और प्रति एनटीईसीएल को पृष्ठांकित पीपीटी के 6 जून, 2016 के पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5.3. पीपीटी ने हमारे आवधिक अनुस्मारकों के बाद अपने 10 जनवरी, 2017 के ई-मेल द्वारा न्यासी मंडल का अनुमोदन भेजा।

6. **निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, पीपीटी के 24 मई, 2016 के प्रस्ताव की प्रति हमारे 3 जून, 2016 के पत्र द्वारा संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को प्रस्ताव पर उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गई थी। केवल दो प्रयोक्ताओं ने अर्थात् एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कं.लि. (एनटीईसीएल) और तमिलनाडु जेनरेशन और वितरण कार्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। उक्त टिप्पणियों को पीपीटी को फीडबैक सूचना के रूप में भेजा गया। हमारे 26 अगस्त, 2016, 6 अक्तूबर, 2016, 16 नवंबर, 2016 और 29 दिसंबर, 2016 के अनुस्मारकों के बाद पीपीटी ने अपने 10 जनवरी, 2017 के ई-मेल के द्वारा प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों का उत्तर दिया।**

7. तदर्थ आधार पर 120 रुपए प्रति टन की दर की उगाही के अनुमोदन के लिए पीपीटी के प्रस्ताव के संबंध में, प्रशुल्क नीति 2015 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देश के खंड 5.7.1 से 5.7.5 में निहित अनुबद्धता के आधार पर और कि आईओएचपी पर कोयलो का प्रहस्तन पहले ही आरंभ कर दिया है और कि इस प्राधिकरण को मामले को अंतिम रूप में निपटाने में कुछ समय लग सकता है, इस प्राधिकरण ने 21 जून 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/31/2016-पीपीटी के द्वारा पीपीटी को लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) पर ताप कोयला प्रहस्तन पर 120 रुपए प्रति एमटी की दर से श्रम उपकर की उगाही तदर्थ आधार पर करने

की मंजूरी इस शर्त पर दी थी कि यदि इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम नियत दर 120 रुपए प्रति एमटी की तदर्थ दर से कम नियत की जायेगी तो पीपीटी संबंधित प्रयोक्ताओं को अंतिम दर और तदर्थ दर के बीच के अंतर की राशि लौटायेगा। यह आदेश 4 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 275 में अधिसूचित किय गया था। हमने अपने 8 जुलाई, 2016 के अपने पत्र के द्वारा सभी संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों और पीपीटी को अधिसूचना और आदेश की प्रति भेजी थी।

8. प्रस्ताव की प्रारंभिक संवीक्षा के आधार पर, हमने अपने 18 जुलाई, 2016 पत्र के द्वारा पीपीटी को कुछ मुद्दों पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया था। हमारे 26 अगस्त, 2016, 6 अक्तूबर, 2016, 16 नवंबर, 2016 और 29 दिसंबर, 2016 के अनुस्मारकों के बाद पीपीटी अपने 10 जनवरी, 2017 के ई-मेल के द्वारा अपना उत्तर भेजा। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और पीपीटी द्वारा दिया गया उत्तर नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्राधिकरण द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण</th><th>पीपीटी का उत्तर</th></tr>
<tr><td>क.</td><td><u>सामान्य:</u></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>पीपीटी ने अपने 8 जून, 2016 के संशोधित प्रस्ताव में, इस प्राधिकरण को निकासी अग्रेषण और प्रहस्तन (सीएफएंडएच) कामगारों के लिए विशेष पृथक्करण पैकेज (एसएसपी) की देयता को वहन करने के लिए प्रबंध समि□ति को पदत्त राशि की वसूली कर सकने के लिए 120 रुपए प्रति एमटी की दर से श्रम लागत की वसूली का अनुमोदन करने का अनुरोध किया। इस संबंध में यहां यह कहना समीचीन होगा कि प्रशुल्क नीति 2015 के अनुसार उगाही का प्रयोजन निवेश पर प्रतिफल के एक घटक और प्रदान की गई सेवाओं की लागत की वसूली के लिए होता है। इस पृष्ठभूमि□ में पीपीटी को लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) के माध्यम से ताप कोयले के प्रहस्तन की सेवाएं प्रदान करने की लागत और संबंधित निवेश पर प्रतिफल की वसूली के लिए श्रम उपकर का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव बनाना होगा।</td><td>इस परियोजना में अर्थात् प्रबंध समि□ति के सीएफएंडएच कामगारों के लिए एसएसपी (विशेष पृथक्करण पैकेज) के लिए पीपीटी का निवेश 176 करोड़ रुपए का है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के परिकलन का एक नमूना पीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित नीचे दिया गया है:
प्रथम वर्ष
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>राशि रु. में</th></tr>
<tr><td>निवेश की लागत (एसएसपी)</td><td>176,00,00,000</td></tr>
<tr><td>ब्याज (8%)</td><td>14,08,00,000</td></tr>
<tr><td></td><td>190,08,00,000</td></tr>
<tr><td>प्रति टन श्रम उपकर</td><td>120</td></tr>
<tr><td>मात्रा प्रति वर्ष (7 महीने में प्रहस्तित 8.5 लाख टन के वास्तव को ध्यान में रखकर)</td><td>15,00,000</td></tr>
<tr><td>वार्षिक वसूल की जाने वाली राशि</td><td>18,00,00,000</td></tr>
<tr><td>टिप्पलिंग, आईओएचपी प्रभारों टर्मिनल प्रभारों खिंचाई प्रभारों के संदर्भ से 100 रुपए प्रति टन की दर से अप्रत्यक्ष प्रतिफल अर्जन।</td><td>15,00,00,000</td></tr>
<tr><td></td><td>33,00,00 000</td></tr>
<tr><td>अगले वर्ष को अग्रेनित</td><td>157,08,00,000</td></tr>
</table>
दूसरे वर्ष
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>राशि रु. में</th></tr>
<tr><td>निवेश की लागत (एसएसपी)</td><td>157,08,00,000</td></tr>
<tr><td>ब्याज (8%)</td><td>12,56,64,000</td></tr>
<tr><td></td><td>169,64,64,000</td></tr>
<tr><td>प्रति टन श्रम उपकर</td><td>120</td></tr>
<tr><td>मात्रा प्रति वर्ष (7 महीने में प्रहस्तित 8.5 लाख टन के वास्तव को ध्यान में रखकर)</td><td>15,00,000</td></tr>
<tr><td>वार्षिक वसूल की जाने वाली राशि</td><td>18,00,00,000</td></tr>
<tr><td>टिप्पलिंग, आईओएचपी प्रभारों</td><td>15,00,00,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		टर्मिनल प्रभारों खिंचाई प्रभारों के संदर्भ से 100 रुपए प्रति टन की दर से अप्रत्यक्ष प्रतिफल अर्जन।
		33,00,00,000
		अगले वर्ष को अग्रेनित 136,64,64,000

तीसरे वर्ष

विवरण	**राशि रु. में**
निवेश की लागत (एसएसपी)	136,64,64,000
ब्याज (8%)	10,93,17,120
	147,57,81,120
प्रति टन श्रम उपकर	120
मात्रा प्रति वर्ष (7 महीने में प्रहस्तित 8.5 लाख टन के वास्तव को ध्यान में रखकर)	1 ,00,000
वार्षिक वसूल की जाने वाली राशि	18,00,00,000
टिप्पलिंग, आईओएचपी प्रभारों टर्मिनल प्रभारों खिंचाई प्रभारों के संदर्भ से 100 रुपए प्रति टन की दर से अप्रत्यक्ष प्रतिफल अर्जन।	15,00,00,000
	33,00,00,000
अगले वर्ष को अग्रेनित	114,57,81,120

ख.	**<u>अन्य मुद्दे:</u>**	
(i).	पीपीटी आईओएचपी के माध्यम से प्रहस्तित ताप कोयले/अन्य किसी कोयले के प्रहस्तन की वार्षिक प्रमात्रा का उल्लेख करें।	आईओएचपी में 7 महीनों में 8.5 लाख टन के वास्तविक प्रहस्तन को देखते हुए वार्षिक प्रमात्रा का आकलन 1.5 मि□लियन टन किया गया है।
(ii).	प्रस्ताव दायर करते समय, पीपीटी ने हाथों से कोयला प्रहस्तन की लागत की गणना प्रस्तुत की थी। जब आईओएचपी पर यानी यांत्रिक प्रहस्तन, ताप कोयला प्रहस्तन के लिए पत्तन द्वारा अनुमोदन मांगा गया है तो कोयले के हस्त्य प्रहस्तन की गणना करने का उद्देश्य स्पष्ट करें।	एमसीएचपी पर ताप कोयले का प्रहस्तन बीओबीआर वैगनों द्वारा किया जाता है। क्योंकि बीओबीआर वैगनों की उपलब्धता 100% से कम है, कोयले की कुछेक मात्रा का प्रहस्तन बीओएक्सएन वैगनों द्वारा किया जाता है। बीओएक्सएन वैगनों के मामले में, कोयले को साइडिंग पर उतारा जाता है जिसे एमसीएचपी स्टेकयार्ड में ले जाया जाता है जहां से उसे जहाज पर लादा जाता है। इसको देखते हुए, हमारे प्रस्ताव पर विचार के लिए हस्त्य कोयला प्रहस्तन की लागत पर विचार करना सुसंगत है।
(iii).	आईओएचपी द्वारा कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन की दर निकालने के लिए गणना के संबंध में पीपीटी निम्नलिखित स्पष्ट/प्रस्तुत करें।	
(क).	3700 टन थ्रूपुट परिकलन पर कुल टनभार के सुविचार का आधार और उसकी सुसंगतता।	**3700** टन इसलिए क्योंकि **1** रेक **3700** टन के लगभग कार्गो ढोती है।
(ख).	निम्नलिखित के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य:- (i). साइडिंग प्रभार @ 4 रु. प्रति टन (ii).टर्मिनल प्रभार @ 22.97 रु. प्रति टन (iii). टिप्पलिंग प्रभार @20.40 रु. प्रति टन	पीपीटी ने साइडिंग प्रभार **@** रु. 4 प्रति टन और टर्मिनल प्रभार 22.97 रु. प्रति टन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। टिप्पलिंग प्रभार पीपीटी के दरमानों के अनुसार है। पीपीटी ने दरमानों का संगत पृष्ठ प्रस्तुत किया है।

(ग).	वांछित दस्तावेजी साक्ष्य और आवश्यक गणना के साथ खिंचाई प्रभारों के आकलन में 58 और 1950 के कारकों पर सुविचार करने का आधार और प्रासंगिकता।	**58** के कारक पर सुविचार करने का आधार यह है कि एक रेक में **58** वैगन होते हैं और खिंचाई प्रभार प्रत्येक वैगन **1950** रुपए है जिसकी प्रतियां पीपीटी ने प्रस्तुत की हैं।
(घ).	पीपीटी के वर्तमान दरमान आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क प्रहस्तन प्रभार 23.45 रु. प्रति एमटी (1 एमटीपीए तक के नौभार के लिए) निर्धारित करते हैं। इसलिए, ताप कोयला प्रहस्तन के लिए आईओएचपी प्रभारों के रूप में 49 रु. प्रति एमटी की दर पर सुविचार का आधार संगत औचित्य और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें।	आईओएचपी संयंत्र लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए है और लौह अयस्क के लिए दर 23.45 रु. प्रति एमटी है। लौह अयस्क की तुलना में ताप कोयले का कम धनत्व होने के कारण, ताप कोयले को प्रहस्तन करने की दर का परिकलन 54.07 रु. प्रति एमटी पर किया गया है। एनटीई सीएल ने पीपीटी को 50 रु. प्रति एमटी से कम दर नियत करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर विचार करते हुए, दर को घटा कर 49 रु. प्रति एमटी किया गया। पीपीटी द्वारा एनटीईसीएल के अनुरोध पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
(iv).	पीपीटी को अपने वर्तमान दरमानों में अंतविष्ट करने के लिए श्रम उपकर के प्रारूप दरमान का प्रस्ताव करना होगा।	पीपीटी ने पहले ही अपने दरमानों के संशोधन के लिए प्रस्ताव प्राधिकरण को प्रस्तुत कर चुका है जिसमें आईओएचपी पर लौह अयस्क के अतिरिक्त कार्गो प्रहस्तन के लिए श्रम उपकर शामिल है। [पत्तन ने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में "विविध प्रभारों के अंतर्गत प्रस्तावित दरमानों में निम्नलिखित प्रारूप दरमानों का प्रस्ताव किया है' - "4.9. <u>आईओएचपी में टिप्पलिंग के लिए श्रम उपस्कर</u> क) लौह अयस्क पैलेट 70 रु. प्रति टन ख) ताप कोयला 120 रु. प्रति टन "]
(v).	प्रशुल्क नीति को लागू करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित प्रशुल्क नीति 2015 के अनुसार पीपीटी को प्रस्तावित उपकर के लिए निष्पादन मानकों का प्रस्ताव भी करना है।	सामान्य दरमानों के संशोधन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत प्रस्ताव में आईओएचपी के निष्पादन मानकों का प्रस्ताव पहले ही कर दिया गया है। [देखा गया है कि पत्तन ने अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में आईओएचपी में ताप कोयले के लिए **12000** टन औसत बर्थ दिवस के उत्पादन का निष्पादन मानक का प्रस्ताव किया है।]

9. विषयक मामले में पीपीटी के परिसर में 27 सितंबर, 2016 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई के दौरान, पीपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर पावाईंट प्रस्तुतिकरण किया। संयुक्त सुनवाई में पीपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों द्वारा अपने-अपने निवेदन प्रस्तुत किये गए।

10. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए तर्कों का सार-संक्षेप संबंधित पक्षकारों को अलग से भेजा जाएगा। यह ब्यौरा हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

11. मामले के प्रकरण के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के हवाले से निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:

(i). पीपीटी के पास कोयले के लदान के लिए मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र है। सीएफएंडएच कामगार रेलवे वैगनों से कोयला कार्गो की हस्त्य उतरायी करते हैं, कार्गो की एमसीएचपी तक ढुलाई करते हैं और शिपलोडर्स के माध्यम से जहाज में लदान करते हैं। लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए उलग से सुविधा है अर्थात् लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) वर्ष 2013 से लौह अयस्क निर्यात पर रोक के कारण आईओएचपी जब बेकार पड़ा था, पत्तन ने आईओएचपी के माध्यम से टिप्पलर द्वारा ताप कोयले का प्रहस्तन शुरू किया जो पहले यांत्रिक कोयला प्रहस्तन संयंत्र में हस्त्य प्रहस्त किया जाता था। लेकिन निकासी, अग्रेषण और प्रहस्तन (सीएफएंडएच) कामगारों के कड़े विरोध के कारण वर्ष 2014 में टिप्पलर के माध्यम से ताप कोयले की उतरायी बंद कर दी गई। आईओएचपी वस्तुत: बेकार होने के कारण पीपीटीने सीएफएंडएच कामगारों के लिए विशेष पृथक्करण पैकेज (एसएसपी) की अनुमति हेतु वित्तीय

अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक-बारगी अनुदान का मामला सरकार को भेजा जिसने प्रस्ताव पर "अनापत्ति' दे दी। इस प्रकार, पीपीटी का प्रस्ताव आईओएचपी के माध्यम से ताप कोयला प्रहस्तन पर श्रम उपकर की उगाही माध्यम से एसएसपी की भरपाई करने में पीपीटी को सक्षम बनाने के लिए है।

(ii). पीपीटी ने मई, 2016 में अपना प्रस्ताव दायर किया। तत्पश्चात्, अनेकों अनुस्मारकों के बाद पीपीटी ने जनवरी, 2017 में सूचना/स्पष्टीकरण दिया। पीपीटी का प्रस्ताव और संदर्भित मामले के प्रकरण के दौरान पीपीटी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण/सूचना पर इस विश्लेषण में विचार किया जा रहा है।

(iii). जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पीपीटी का प्रसताव, सीएफएंडएच कामगारों को एसएसपी की देयता को वहन करने के लिए प्रबंधन समिति को प्रदत्त राशि को वसूल करना सक्षम बनाने के लिए है। इस संबंध में यहां यह कहना समीचीन होगा कि प्रशुल्क नीति 2015 के अनुसार उगाही का प्रयोजन निवेश पर प्रतिफल के एक घटक और प्रदान की गई सेवाओं की लगात की वसूली के लिए होता है। इस पृष्ठभूमि में पीपीटी का मत यह है कि प्रबंध समिति के सीएफएंडएच कामगारों की एसएसपी के लिए 176 करोड़ रुपये की राशि के साथ-साथ प्रतिफल के रूप में ब्याज मिलाकर समग्र लागत पीपीटी का निवेश है, जिसे पत्तन आईओएचपी द्वारा ताप कोयला प्रहस्तन पर श्रम उपकर की उगाही के द्वारा वसूल करने का प्रस्ताव है। पीपीटी ने 43 करोड़ रुपये पहले ही व्यय कर दिये हैं।

(iv). पीपीटी ने आरंभ में आईओएचपी के माध्यम से तापीय/कोयला प्रहस्तन पर 130 रुपये प्रति एमटी की दर से श्रम उपकर के रूप में उगाही का प्रस्ताव किया था। लेकिन प्रयोक्ताओं के प्रस्तावित दर को घटाने के अनुरोध के आधार पर पीपीटी ने आईओएचपी के माध्यम से ताप कोयला प्रहस्तन पर श्रम उपकर प्रति एमटी 120 रुपये की दर का प्रस्ताव किया है।

(v). आईओएचपी के माध्यम से ताप कोयला प्रहस्तन पर प्रस्तावित श्रम उपकर निकालने के लिए पीपीटी द्वाराविभिन्न लागत तत्वों पर विचार किया गया है, जिन पर नीचे के पैराओं में चर्चा की जा रही है:

(क). साइडिंग प्रभार:

इस स्थिति के आधार पर कि एक रेक 3700 टन कार्गो ढ़ो सकती है और 4 रु. प्रति एमटी की दर पर विचार करते हुए, पीपीटी प्रति रेक साइडिंग प्रभारों पर पहुंचा है। पीपीटी ने साइडिंग प्रभारों के 4 रु. प्रति एमटी की दर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये हैं।

(ख). ढुलाई प्रभार:

इस स्थिति के आधार पर कि एक रेक में 58 वैगन होते हैं और प्रति वैगान खिंचाई प्रभार 1950 रुपये है, पीपीटी प्रति रेक ढुलाई प्रभार पर पहुंचा है। पीपीटी ने 1950 रुपये प्रति वैगन के ढुलाई प्रभार की दर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है।

(ग) **टर्मिनल प्रभार**: एक रेक में 3700 टन कार्गो की ढुलाई क्षमता को ध्यान में रखकर और 22.97 रुपये प्रति टन के टर्मिनल प्रभारों के आधार पर, पीपीटी प्रति रेक टर्मिनल प्रभारों पर पहुंचा है। पीपीटी ने टर्मिनल प्रभारों के 22.97 रुपये प्रति टन की दर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं।

(घ). टिप्पलिंग प्रभार:

एक रेक में 3700 टन कार्गो की ढुलाई क्षमता पर विचार करते हुए और 20.40 प्रति टन के टिप्पलिंग प्रभार के आधार पर पीपीटी प्रत्येक रेक के टिप्पलिंग प्रभार पर पहुंचा है। टिप्पलिंग प्रभारों की 20.40 रुपये प्रति टन की दर आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क की टिप्पलिंग के लिए पीपीटी के वर्तमान दरमानों में निर्धारित के अनुसार ही है।

(ङ). आईओएचपी प्रभार:

एक रेक में 3700 टन कार्गो की ढुलाई क्षमता पर विचार करते हुए और 49 रुपये प्रति टन के आईओएचपी प्रभारों के आधार पर, पीपीटी प्रति रेक आईओएचपी प्रभारों पर पहुंचा है। 49 रुपये प्रति टन की दर एक प्रयोक्ता द्वारा किये गए अनुरोध के आधार पर सूचित की गई है। पीपीटी ने दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जो यह दर्शाता है कि एक प्रयोक्ता ने आईओएचपी लदान प्रभारों का 50 रुपये प्रति टन से नीचे रखने का अनुरोध किया था।

(**च**). उक्त लागत तत्वों के आधार पर, पीपीटी प्रति रेक 4.70 लाख रुपये प्रति रेक की प्रहस्तन लागत पर पहुंचा है। एक रेक में 3700 टन कार्गो की ढुलाई क्षमता पर सुविचार करते हुए पीपीटी 127 रुपये प्रति टन की लागत पर पहुंचा है। इस प्रकार आईओएचपी माध्यम से ताप कोयला प्रहस्तन पर पीपीटी ने 120 रुपये प्रति एमटी श्रम उपस्कर लगाने का प्रस्ताव किया है।

(छ). विभिन्न लागत घटकों, जैसी ऊपर चर्चा की गई है, का सारांश निम्नवत् है:-

पत्तन प्रभार	**राशि रु. में प्रति रेक**
साइडिंग प्रभार [3700 टन प्रति रेक X 4/- रु. प्रति टन]	14,800
ढुलाई [58 वेगन प्रति रेक X ` 1950/- प्रति वैगन]	113,100
टर्मिनल प्रभार [3700 टन X ` 22.97 प्रति टन]	84,989
टिप्पलिंग प्रभार [3700 टन X 20.4 प्रति टन]	75,480
आईओएचपी प्रभार [3700 टनX 49 प्रति टन] (जहाज लदान प्रभार)	1,81,300
कुल लागत प्रति टन	**4,69,669**
एक रेक में कार्गो टन में	**3700**
लागत प्रति टन	**127/-**

(vi). पीपीटी द्वारा दिये गए परिकलन के आधार पर और प्रयोक्ताओं से विचार-विमर्श के आधार पर न्यासी मंडल के 120 रुपये प्रति एमटी की दर के अनुमोदन को देखते हुए, यह प्राधिकरण आईओएचपी के माध्यम से ताप कोयला प्रहस्तन पर श्रम उपकर के 120 रुपये प्रति एमटी की दर के अनुमोदन के लिए प्रवृत्त है।

(vii). यह स्मरण कराया जाता है कि पत्तन द्वारा किये गए अनुमोदन के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने 21 जून, 2016 के आदेश के अनुसार आईओएचपी पर ताप कोयला प्रहस्तन के लिए 120 रुपये प्रति एमटी की दर पर पीपीटी पर श्रम उपकर लागू करने का तदर्थ अनुमोदन किया था। बशर्ते कि यदि इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम दर 120 रुपये एमटी की तदर्थ दर से कम पर दर नियत की गई तो अंतिम दर और तदर्थ दर के बीच की अंतर राशि को पीपीटी द्वारा संबंधित प्रयोक्ताओं को लौटाना होगा। यह दिया गया है कि पीपीटी द्वारा तदर्थ आधार पर उगाही गई दर और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर वही रहती है तो आईओएचपी पर ताप कोयला प्रहस्तन दर पर 120 रुपये प्रति एमटी की उगाही पीपीटी द्वारा उगाही आरंभ करने की तारीख से उसी प्रकार मान्य रहेगी।

(viii). प्रस्तावित उगाही सीएफएंडएच कामगारों के लिए एसएसपी के विशिष्ट प्रयोजन के लिए 176 करोड़ रुपये की राशि की भरपाई करने के लिए है। जैसा टीएएनजीईडीसीओ और एनटीईसीएल द्वारा अनुरोध किया गया है कि 176 करोड़ रुपये की राशि की उगाही एकत्र करने के लिए एक समय सीमा नियत करना उपयुक्त होगा। चूंकि पूरी राशि की वसूली आईओएचपी पर प्रहतित/प्रहस्तित किये जाने वाले कोयला कार्गो पर निर्भर करती है, इसलिए इस स्थिति में अभी समय सीमा नियत करना उपयुक्त नहीं है। इसलिए, पीपीटी को इस संबंध में अलग से खाता रखने और पीपीटी द्वारा एक बार पूरी राशि की वसूली हो जाने पर उगाही को रोकने का अनुरोध किया जाता है। इस संबंध में पीपीटी को लेखापरीक्षित लेखा इस प्राधिकरण को पीपीटी ने प्रशुल्क की आगामी समीक्षा के समय प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

(ix). प्रशुल्क नीति को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित प्रशुल्क नीति, 2015 निष्पादन मानकों का निर्धारण अनुबद्ध करती है। तदनुसार, हमारे अनुरोध पर पीपीटी ने आईओएचपी में ताप कोयले के प्रहस्तन के विषय में 12000 टन औसत जहाज बर्थ दिवस उत्पादन के रूप में निष्पादन मानक का प्रस्ताव किया है। प्रशुल्क नीति, 2015 निष्पादन मानकों के प्रस्ताव के लिए किसी विधि अथवा आधार को नियत नहीं करती। पत्तन द्वारा प्रस्तावित निष्पादन मानक अनुमोदित हैं।

12.1. परिणाम में और ऊपर बताये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण आईओएचपी पर ताप कोयले के प्रहस्तन पर 120/- रुपये प्रति एमटी की उगाही और पीपीटी पर आईओएचपी में ताप कोयले के प्रहस्तन के विषय में 12000 टन औसत जहाज बर्थ दिवस के रूप में निष्पादन मानक को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है जैसा पत्तन द्वारा प्रस्तावित है।

12.2. उगाही, पीपीटी द्वारा उगाही आरंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी और दर की वैधता पीपीटी के सामान्य संशोधन में अनुमोदित की जाने वाली दरों की वैधता के साथ सह-समाप्य होगी।

12.3. दिया गया अनुमोदन तत्पश्चात् स्वत: समाप्त हो जायेगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से इसका विस्तार न किया जाये। आईओएचपी पर ताप कोयला प्रहस्तन के लिए अब अनुमोदित 120 रुपये प्रति एमटी की उगाही की समीक्षा पीपीटी के प्रशुल्क की आगामी सामान्य समीक्षा के समय की जायेगी । पत्तन को इस संबंध में अलग से लेखा रखने और पीपीटी की आगामी प्रशुल्क समीक्षा के समय संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षित ब्यौरा प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

टी. एस. बालसुब्रमनियम, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./458/16(143)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th February, 2017

No. TAMP/31/2016-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust for introduction of Labour Cess for the thermal coal handled at Iron Ore Handling Plant, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/31/2016-PPT

Paradip Port Trust … Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 8th day of February, 2017)

This case relates to the proposal received from Paradip Port Trust (PPT) for introduction of Labour Cess for the thermal coal handled at Iron Ore Handling Plant (IOHP).

2.1. The existing Scale of rates (SOR) of PPT approved in March 2011 prescribes rates for handling of coal through Mechanized Coal Handling Plant (MCHP) at SI. No (4) of section 2.1 of the existing SOR of PPT as given below:

Sl No.	Description of Goods	Rate per MT or part therefore in ₹.	
		Foreign	Coastal
4.	Coal through MCHP		
(a)	Unloading of coal wagon through the coal handling system shipment of coal through coal handling plant	51.710	51.70
(b)	(i) Up to 7.5 million tonnes	77.50	77.50
	(ii) From 7.5 million tonnes to 10 million tonnes	71.05	71.05
	(ii) Beyond 10 million tonnes	64.60	64.60

2.2. However, the existing SOR of PPT does not prescribe rates for handling of Coal through IOHP. Hence the PPT has come up with the proposal in reference.

3. The main points made by PPT in its proposal dated 24 May 2016 are summarized below:

(i). Only BOBR (Bottom unloading wagon) wagon is used for handling thermal coal through MCHP. If this wagon is not available, then BOXN wagon is used for thermal coal. The BOXN (Open-top wagon) wagons are unloaded manually by engaging Clearing, Forwarding & Handling (CF&H) workers through Management Committee. Then cargo is transported to the stockyard of MCHP and thereafter loaded to the ship through ship loader of MCHP by the CF&H workers & other service providers.

(ii). Even though such Cargo can be handled directly in the IOHP through wagon tippler and ship loader, the same could not be utilized due to heavy resistance from the CF&H workers to allow them to unload the wagon manually

(iii). In order to overcome this situation and allow loading of Thermal Coal to IOHP by using both wagon tippler and ship loader, the Management Committee requested PPT to sanction one time grant to meet the financial requirement for allowing Special Severance Package (SSP) for CF&H workers.

(iv). Accordingly, PPT referred the matter to the Ministry for approval of onetime grant of ₹49 crore to allow 320 workers who had opted for SSP and ₹127 crore for balance 792 workers, who will opt for SSP in next 12 months. The Ministry vide letter No. "F.No.LB-16017/5/2013-DO(L) dtd 22 March, 2016 has approved the proposal and directed PPT to keep separate accounts for the financial benefits that will accrue to the PPT on implementation of the scheme.

(v). The PPT paid ₹.43 crore to the Managing Committee to meet the liability on account of SSP for 283 workers out of 320 workers as 37 workers got retired on superannuation between the initiation and implementation of the proposal.

(vi). The CF&H workers have agreed to allow mechanical unloading through wagon tippler, in the MOU signed between the employer, Union representative and PPT.

(vii). The present cost of handling BOXN wagon with manual handling (unloading, transportation & loading) is ₹. 427/- per MT, as against ₹.127 per MT by using IOHP (unloading at wagon trippler and loading through shop loader).

(viii). The Cost benefit Analysis of manual handling of coal in MCHP is as follows:

(a). **Basis of calculation**

Each gang consist of 8 laborers and 1 supervisor for 4 wagons
Average Wage per labour Rs. 1420 per booking

Average Wage per supervisor Rs.1660 per booking
Average Incentive @ Rs.430 per head
NWA Rs.@ 60 per head
Levy @150% of wage

(b). **Handling Cost per wagon (Manually):**

Management Committee	**Amt in ₹.**
Labour charges [14.5 gang X8X1420]	164,720
Supervisor Charges [14.5 gang X1660]	24,070
Incentive @ Rs. 430 per head [14.5 gang X9X430]	56,115
NWA @ Rs. 60 per head p14.5 gang X9X 60]	7,830
Levy @ 150 of wages [1, 64,720+24,070X150%]	283,185
Total	**535,920**
Cost per tonne (a)	145

Port Charge	**Amt in ₹.**
Siding charges [3700X4]	14,800
Haulage [58X1950]	113,100
Terminal Charges [3700X22.97]	84,989
MCHP Shipping Charges [77.5 X3700]	286,750
Total	**499,639**
Cost per tonne (b)	135

Others	**Per tonne**
Poclain per tonne	21
Loading and Shifting to MCHP	55
Stacking at MCHP	10
Gear Charges	5
Track cleaning by labour	6
Margin to the CF & H operator	45
Misc. Exp	5
Cost per tonne (b)	147

Total Cost per tonne (a)+(b)+(c) = ₹.427

(c). **Handling Cost per wagon (Mechanically) for IOHP**

Port Charge	**Amt in ₹**
Siding charges [3700X4]	14,800
Haulage [58X1950]	113,100
Terminal Charges [3700X22.97]	84,989
Tippling Charges [3700X20.4]	75,480
IOHP charges [3700 X 49] (Shipping Charges)	1,81,300
Total	**4,69,669**
Cost per tonne	127

(ix). Two exporters namely ‘‘NTPC Tamilnadu Energy company Ltd” and “TANGEDCO” have agreed to use IOHP and have also agreed to pay labour cess, which is proposed at ₹. 130/- per MT.

4. In view of the above points, the PPT has requested to approve the recovery of labour cess of

₹ 130/- per MT, which will enable the PPT to recover the amount, which the PPT has already paid and will be paying additionally for balance 283 workers to the Management Committee to meet their liability on account of SSP.

5.1. Subsequently, the PPT vide its letter dated 8 June 2016 has made the following submissions:

(i). The two concerned exporters, NTECL and TANGEDCO, while agreeing for the proposed levy, had requested the PPT to further reduce the proposed labour cess. In response to the request, the PPT has agreed to reduce the rate from ₹130 per MT to ₹120 per MT.

(ii). As handling of Thermal Coal at Iron Ore handling Plant (IOHP) has already commenced, it is requested to approve the rate of ₹120 per tonne on ad hoc basis, incase final approval will take some time.

(iii). On receipt of the final approval of the rate, the necessary adjustment will be made on the amount received under this head, during the intervening period.

5.2. A copy of the letter dated 6 June 2016 addressed by PPT to TANGEDCO with a copy endorsed to NTECL informing about the labour cess to be only ₹ 120/- per MT instead of ₹ 130/- per MT, has been furnished by PPT.

5.3. The PPT under cover of its e-mail dated 10 January 2017 has furnished the approval of the Board of Trustees, after periodical reminders by us.

6. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the PPT proposal dated 24 May 2016 was forwarded to the concerned users/ user organizations vide our letter dated 3 June 2016**,** seeking their comments, on the subject proposal. Only two of the users i.e. NTPC Tamilnadu Energy Company Ltd (NTECL) and Tamilnadu Generation and Distribution Corporation Ltd (TANGEDCO) have furnished their comments. The said comments were forwarded to the PPT as feedback information. After our reminders dated 26 August 2016, 6 October 2016, 16 November 2016 and 29 December 2016, the PPT under cover of its e-mail dated 10 January 2017 has responded to the comments of the users/ user organisations.

7. With regard to the proposal of the PPT seeking approval for levy of the rate of ₹120 per tonne on ad hoc basis, based on the stipulation contained in Clauses 5.7.1 to 5.7.5 of the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Policy, 2015, and considering that PPT has already commenced handling of coal at IOHP and that it may take some time for the case to mature for final disposal by this Authority, this Authority vide its Order No. TAMP/31/2016-PPT dated 21 June 2016 has granted ad hoc approval for introduction of Labour Cess at PPT at the rate of ₹. 120/- per MT for the thermal coal handled at Iron Ore Handling Plant (IOHP), subject to the condition that if the final rate fixed by this Authority is lower that the adhoc rate of ₹.120/- per MT, the difference between the final rate and the adhoc rate has to be refunded by the PPT to the concerned users. The Order was notified in the Gazette of India on 4 July 2016 vide Gazette No. 275. We have vide our letter dated 8 July 2016 forwarded a copy of the said Notification and Order to PPT and to all the concerned users/ user organisations.

8. Based on a preliminary scrutiny of the proposal, the PPT was requested to furnish additional information/ clarifications on few points vide our letter dated 18 July 2016. After reminders dated 26 August 2016, 6 October 2016, 16 November 2016 and 29 December 2016, the PPT under cover of its e-mail dated 10 January 2017 has responded. The information/clarification sought by us and the response of PPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarification sought by TAMP	Response of PPT
A.	**GENERAL:**	
	The PPT, in its revised proposal dated 8 June 2016, has requested the Authority to approve the recovery of Labour Cess @ ₹. 120/- per MT to enable to recover the amount paid to	The investment of PPT stands at ₹. 176 crores on this project i.e. the overall cost of SSP (Special Severance Package) for CF&H worker of Management Committee. A sample calculation of

Management Committee to meet the liability of Special Severance package (SSP) for Clearing, Forwarding & Handling (CF&H) workers. In this regard, it is relevant to mention here that as per the Tariff Policy, 2015, the purpose of any levy is to enable the port to recover the cost of rendering the services and a component of return on the investments. In this backdrop, the PPT to formulate the proposal of seeking approval for Labour Cess to recover the cost of rendering the service to handle thermal coal through Iron Ore Handling Plant (IOHP) and the Return on the related investment.

return on capital employed as furnished by PPT is given below:

1st Year

Particulars	**Amount in ₹**
Cost of investment (SSP)	176,00,00,000
Interest (8%)	14,08,00,000
	190,08,00,000
Labour Cess per tonne	120
Quantity per annum (considering actual of 8.5 lakh tonnes handled for 7 months)	15,00,000
Amount to be recovered annually	18,00,00,000
Indirect net revenue generation on account of tippling, IOHP charges, terminal charges, haulage charges @ ₹100/- per tonne.	15,00,00,000
	33,00,00,000
Carry forward to next year	157,08,00,000

2nd Year

Particulars	**Amount in ₹**
Cost of investment (SSP)	157,08,00,000
Interest (8%)	12,56,64,000
	169,64,64,000
Labour Cess per tonne	120
Quantity per annum (considering actual of 8.5 lakh tonnes handled for 7 months)	15,00,000
Amount to be recovered annually	18,00,00,000
Indirect net revenue generation on account of tippling, IOHP charges, terminal charges, haulage charges @ ₹100/- per tonne.	15,00,00,000
	33,00,00,000
Carry forward to next year	136,64,64,000

3rd Year

Particulars	**Amount in ₹**
Cost of investment (SSP)	136,64,64,000
Interest (8%)	10,93,17,120
	147,57,81,120
Labour Cess per tonne	120
Quantity per annum (considering actual of 8.5 lakh tonnes handled for 7 months)	15,00,000

		Amount to be recovered annually	18,00,00,000
		Indirect net revenue generation on account of tippling, IOHP charges, terminal charges, haulage charges @ ₹100/- per tonne.	15,00,00,000
			33,00,00,000
		Carry forward to next year	114,57,81,120
B.	**Other Points:**		
(i).	The PPT to indicate the annual volume of Thermal Coal/any other coal estimated to be handled via IOHP.	The Annual volume to be handled in IOHP has been estimated at 1.5 Million considering the actual handling of 8.5 lakhs tonne in 7 months.	
(ii).	While filing the proposal, the PPT has furnished working towards cost of handling coal manually. When the proposal of the port is for seeking approval for handling thermal coal at IOHP, i.e. mechanized handling, the relevance of furnishing working to arrive at manual handling of coal to be explained.	The thermal coal at MCHP can be handled by BOBR wagons only. As the availability of BOBR wagons is less than 100%, some quantity of the coals are handled by BOXN wagons. In case of BOXN wagons the coal is unloaded on siding which is shifted to the MCHP stackyard to be loaded to the Ship at MCHP. In view of this the cost of handling coal manually is relevant for considering our proposal.	
(iii).	With regard to workings furnished to arrive at the rate of mechanized handling of coal by IOHP, the PPT to clarify/furnish the following:		
(a).	Basis for considering the total tonnage at 3700 tonnes throughout the calculation, and its relevance.	3700 tonnes has been considered because one rake can carry around 3700 tonnes of cargo.	
(b).	Documentary evidence in respect of (i). Siding charges at ₹. 4/- per tonne. (ii).Terminal charges at ₹. 22.97/- per tonne. (iii). Tippling charges at ₹. 20.40/- per tonne	The documentary evidence in support of siding charges @ ₹. 4/- per tonne and terminal charges @ ₹. 22.97 per tonne is furnished by PPT. Tippling charges is as per the SOR of PPT. The relevant page of SOR is furnished by PPT.	
(c).	Basis and relevance for considering the factors of 58 and 1950 in the estimation of Haulage charges alongwith the requisite documentary evidence, and necessary workings.	The basis of considering the factor of 58 is that one rake consist of 58 wagons and haulage charges is ₹. 1950 per wagon, the copy of which is furnished by PPT.	
(d).	The existing Scale of Rates (SOR) of PPT prescribes charges for handling iron ore through IOHP at ₹. 23.45 per MT (for shipment up to 1 MTPA). The basis for, therefore, considering a rate of ₹. 49 per MT as IOHP charges for handling thermal coal to be furnished with requisite justification and documentary evidence.	The IOHP plant is meant to handle Iron Ore and the rate has been fixed at the rate of ₹. 23.45 per MT of iron ore. Due to low density of thermal coal as compared to iron ore, the rate for handling thermal coal was caluculated at ₹. 54.07 per MT. NTECL requested PPT to fix a rate below ₹. 50 per MT. Considering their request, the rate was reduced to rate of ₹. 49 per MT. The copy of the request letter of NTECL is enclosed by PPT.	
(iv).	The PPT to propose the draft SOR of Labour Cess to be incorporated in its existing SOR.	PPT has already submitted its proposal to TAMP for revision of General SOR which includes labour cess for cargo to be handled at IOHP other than iron ore.	

		[The Port is seen to have proposed the following in the proposed draft Scale of Rates relating to general revision proposal under 'Miscellaneous charges' - **"4.9. <u>Labour cess for tippling in IOHP.</u>** a) Iron ore pellet ₹ 70 per tonne b) Thermal coal ₹ 120 per tonne**"**]
(v).	As per Tariff Policy, 2015, read along with the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Policy, the PPT to propose Performance Standards for the proposed levy.	The Performance Standard of IOHP has already been included in the proposal submitted to TAMP for revision of General SOR. [The Port is seen to have proposed average berth day output of 12000 Tonnes for thermal coal in IOHP in its General revision proposal Performance Standards relating to general revision proposal.]

9. A joint hearing on the case in reference was held on 27 September 2016 at the PPT premises. At the joint hearing, the PPT made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the PPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions.

10. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

11. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i). The PPT has a Mechanized Coal Handling Plant (MCHP) for shipment of coal. The Clearing, Forwarding & Handling (CF&H) workers unload coal cargo manually from the Railway wagons, transport the cargo to the MCHP and load the cargo on board the ship through ship loaders. There is a separate facility to handle iron ore i.e. Iron Ore Handling Plant (IOHP). When the IOHP was idling due to ban on iron ore export since the year 2013, the port has started handling thermal coal through tipplers at the IOHP which was earlier handled manually at the MCHP. However, due to strong resistance from the CF&H workers, unloading thermal coal through tipplers was discontinued in the year 2014. Given that the IOHP was virtually idle, PPT referred the matter to the Government for approval of one-time grant to meet the financial requirement for allowing Special Severance Package (SSP) for CF&H workers, who in turn has given 'No Objection' to the proposal. Thus, the proposal of the PPT is to enable it recoup the SSP through a levy of labour Cess on thermal coal handled through IOHP.

(ii). The PPT had filed its proposal in May 2016. Subsequently, after several reminders, the PPT has furnished information/ clarification in January 2017. The said proposal of PPT alongwith the information/clarification furnished by PPT during the processing of the case in reference is considered in this analysis.

(iii). As brought out above, the proposal of the PPT is to enable it to recover the amount paid to Management Committee to meet the liability of SSP for CF&H workers. In this regard, it is relevant to mention here that as per the Tariff Policy, 2015, the purpose of a levy is to enable the port to recover the cost of rendering the services and a component of return on the investments. In this backdrop, the PPT is of the view that the overall cost of SSP for CF&H worker of Management Committee at ₹ 176 crores along with with interest in the form of return is the investment of PPT, which the port proposes to recover by way of levy of labour

cess on thermal coal handled through IOHP. The PPT has already incurred an expenditure of ₹43 crores.

(iv). The PPT had initially proposed a rate of ₹ 130/- per MT towards labour cess on thermal coal handled through IOHP. However, subsequently, based on the request of the users to effect reduction in the proposed rate, the PPT has proposed a rate of ₹ 120/- per MT towards labour cess on thermal coal handled through IOHP.

(v). The various cost elements considered by PPT to arrive at the proposed labour cess on thermal coal handled through IOHP is discussed in the following paragraphs:

(a). Siding charges:
Based on the position that one rake can carry 3700 tonnes of cargo and considering the rate of ₹ 4/- per MT, the PPT has arrived at the siding charges per rake. The PPT has furnished documentary evidence in support of the rate of ₹ 4/- per MT towards siding charges.

(b). Haulage charges:
Based on the position that one rake has 58 wagons and the haulage charges is ₹ 1950/- per wagon, the PPT has arrived at the haulage charges per rake. The PPT has furnished documentary evidence in support of the rate of ₹1950/- per wagon towards haulage charges.

(c). Terminal charges:
Considering the carrying capacity of 3700 tonnes of cargo in one rake and based on the Terminal charges at ₹ 22.97 per tonne, the PPT has arrived at the terminal charges per rake. The PPT has furnished documentary evidence in support of the rate of ₹ 22.97 per tonne towards terminal charges.

(d). Tippling charges:
Considering the carrying capacity of 3700 tonnes of cargo in one rake and based on the Tippling charges at ₹20.40 per tonne, the PPT has arrived at the tippling charges per rake. The rate of ₹ 20.40 per tonne towards tippling charges is as prescribed in the existing SOR of PPT for tippling of iron ore through IOHP.

(e). IOHP charges:
Considering the carrying capacity of 3700 tonnes of cargo in one rake and based on the IOHP charges at ₹49 per tonne, the PPT has arrived at the IOHP charges per rake. The rate of ₹ 49 per tonne is reported to be based on the request made by one of the users. The PPT has furnished documentary evidence which reflects the request made by one of the users to keep the loading charges in IOHP below ₹50 per tonne.

(f). Based on the above cost elements, the PPT has arrived at the handling cost at ₹ 4.70 lakhs per rake. Considering the carrying capacity of 3700 tonnes of cargo in one rake, the PPT has arrived at the cost of ₹ 127 per tonne. Thus, the PPT has proposed a rate of ₹ 120/- per MT towards labour cess on thermal coal handled through IOHP.

(g). A summary of the various cost components as discussed above is tabulated as follows:

Port Charge	**Amt in ₹ per rake**
Siding charges [3700 tonnes per rake X ₹ 4/- per tonne]	14,800
Haulage [58 wagons per rake X ₹ 1950/- per wagon]	113,100
Terminal Charges [3700 tonnes X ₹ 22.97 per tonne]	84,989
Tippling Charges [3700 tonnes X ₹ 20.4 per tonne]	75,480

IOHP charges [3700 tonnes X ₹ 49 per tonne] (Shipping Charges)	1,81,300
Total cost per rake	**4,69,669**
Tonnes of cargo in one rake	**3700**
Cost per tonne	**127/-**

(vi). Based on the calculation given by the PPT and considering that the rate of ₹ 120/- per MT is based on the consultation with the users and has the approval of its Board of Trustees, this Authority is inclined to approve the rate of ₹120/- per MT towards labour cess on thermal coal handled through IOHP, as proposed by the PPT.

(vii). It may be recalled that based on the request made by the port, this Authority vide its Order dated 21 June 2016 has granted ad hoc approval for introduction of Labour Cess at PPT at the rate of ₹ 120/- per MT for the thermal coal handled at IOHP, subject to the condition that if the final rate fixed by this Authority is lower that the adhoc rate of ₹.120/- per MT, the difference between the final rate and the adhoc rate has to be refunded by the PPT to the concerned users. Given that the rate levied by the PPT on adhoc basis and the rate approved by this Authority are the same, the levy of ₹120/- per MT towards handling of thermal coal at IOHP with effect from the date of commencement of the levy by PPT is recognized as such.

(viii). The proposed levy is to recoup the amount of ₹. 176 crores for the specific purpose of SSP for the CF&H workers. As requested by TANGEDCO and NTECL, it is appropriate to fix a time frame for levy to collect the amount of ₹. 176 crores. Since the recovery of the entire amount depends on the coal cargo handled/to be handled at the IOHP, it is not possible to fix the time frame at this stage. Therefore, the PPT is advised to maintain a separate account in this regard and stop the levy at once the entire amount is recovered by the PPT. An audited account in this regard is required to be produced by the PPT to this Authority, at the time of next review of tariff of PPT.

(ix). The Tariff Policy, 2015 read with the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Policy stipulates prescription of Performance Standards. Accordingly, at our request, the PPT has proposed to prescribe the Performance standard as Average Ship Berth day Output in respect of handling of Thermal Coal in IOHP at 12,000 tonnes. The Tariff Policy, 2015 does not prescribe any method or basis for proposing performance standards. The performance standards as proposed by the Port is approved.

12.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority approves the levy of ₹120/- per MT towards handling of thermal coal at IOHP and the Performance standard as Average Ship Berth day Output in respect of handling of Thermal Coal in IOHP at 12,000 tonnes at PPT, as proposed by the Port.

12.2. The levy would come into effect from the date of commencement of the levy by PPT and the validity of the rate would be co-terminus to the validity of the rates to be approved in the general revision case of PPT.

12.3. The approval accorded would automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority. The levy of ₹120/- per MT towards handling of thermal coal at IOHP approved now shall be reviewed at the time of next general review of tariff of PPT. The port is advised to maintain a separate account in this regard and furnish the audited details for scrutiny at the time of the next review of tariff of PPT.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./458/16 (143)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.08 15:34:57 +05'30'